③

पी०के० मिश्र,
सचिव ।

अर्धशा०प०सं०/ 4038 /आर-88-89/94/

संस्थागत वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ : दिनांक : नवम्बर 23, 1994

ADM (F&R)

~~प्रिय~~ महोदय,

बैंकों द्वारा शासन के संज्ञान में यह बात लाई जा रही है कि कतिपय जनपदों में शाखाओं द्वारा बैंक ऋणों की वसूली हेतु जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों को किन्हीं कारणोंवश वापस कर दिया जाता है जिससे बैंक ऋणों की वसूली प्रभावित होती है । आप सहमत होंगे कि बैंकों और अन्य केन्द्रीय संगठनों द्वारा जो ऋण दिये जाते हैं उनकी वसूली के संबंध में स्थगन अथवा किश्तबन्दी किये जाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है । अत: ऐसी स्थिति में वसूली प्रमाण पत्र को तकनीकी आधार पर वापस न करके संबन्धित त्रुटियां अगर कोई हों तो उनका निराकरण किया जाय तथा संबन्धित मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जाय ।

जिला मजिस्ट्रेट
सुलतानपुर
3/12/94

मुख्य राजस्व
लेखाकार

भवदीय,

(पी०के० मिश्र)

ADM (F/R)
21-12-94

श्री मो० इफ्तखारुद्दीन,
जिलाधिकारी,
सुलतानपुर

श्री मो० अहमद
ACRA